स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 8 जुलाई 2022

"प्रारूप उन्नीस"
[नियम 19 (13) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा 11 के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषण हेतु सूचना]

क्र.-जविप्रा-भू-अर्जन-2022-3287.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-03/JBP/2020 अर्थात् ग्राम कुदवारी एवं गुरदा को संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है.

उक्त स्कीम के अभिविन्यास, मूल भूखण्ड तथा अन्तिम भूखण्ड को दर्शाते हुए तथा प्रारूप-उन्नीस (क) प्रारूप-उन्नीस (ख) तथा प्रारूप (ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाये गये कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:—

1. जबलपुर विकास प्राधिकरण, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर
2. कलेक्टर, जिला जबलपुर
3. नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर
4. स्थानीय नगरीय निकाय-नगरपालिक निगम, जबलपुर
5. प्राधिकरण की वैबसाईट अर्थात् jdajabalpur.org

उपरोक्त स्कीम दिनांक 15 जुलाई 2022 से प्रभावशील होगी.

प्रशांत श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

(G 1268)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, मैहर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 28 जून 2022

[म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1991 एवं म. प्र. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 6(1) के तहत]

प्र. क्र. 1 बी-113-2015-16-427.—चूंकि पूर्व प्रकरण क्रमांक 1 बी-113-2015-16 आवेदक स्वामी बम महादेव दास प्रधान शिष्य गुरु पुत्र श्री नीलकंठ (नारायणदास) जी महराज के आवेदन पर माननीय रजिस्ट्रार महोदय, मैहर द्वारा ट्रस्ट अधिनियम अंतर्गत विहित प्रारूप क्र. 3 के नियम 4(2) के तहत आवेदन-पत्र मय संविधान एवं नियमावली एवं ट्रस्ट की संपत्ति के संबंध में दस्तावेजों का अवलोकन व प्रकरण के सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात दिनांक 4 जून 2016 को उक्त न्यास स्वामी नीलकंठ (नारायणदास) लोकन्यास, श्री नीलकंठ आश्रम, गोविन्दबाग ओइला तहसील मैहर, जिला सतना, मध्यप्रदेश का पंजीयन का आदेश दिनांक 4 जून 2016 को किया, जो पंजीयन रजिस्टर क्र. 04/2016 इन्द्राज किया गया था. उक्त न्यास की कार्यकारिणी पदाधिकारी सदस्यों की बैठक दिनांक 31 मार्च 2022 को न्यासकर्ता/मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के कार्यवाही/ प्रस्ताव क्रमांक 7 के खण्ड (क) और (ख) पर सर्वसम्मति से उक्त न्यास में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं जो कि मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 9(2) के अंतर्गत अनुसूची में पूर्व की मूल लोकन्यास के रजिस्टर में वांछित संशोधन प्रतिस्थापित किए गए हैं जिसका आवेदन आवेदक द्वारा विहित प्रारूप में संशोधित संविधान व नियमावली प्रेषित किया गया है.